

क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ERCC/RCC 02)/2025/ई-10075

Corrigendum

खान मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 20.02.2025 से खनिज बैराईट्स, फ़ैल्सपार, अभ्रक एवं क्वार्टज को प्रधान खनिज की श्रेणी में हो जाने से, उक्त अधिसूचना की पालना में निदेशालय निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ERCC/RCC 02)/2025/ई-10075 दिनांक 04.02.2025 के क्रम संख्या 22, 24 एवं 25 पर अंकित ठेके एवं विज्ञापित क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ERCC/RCC 03)/2025/ई-10196 दिनांक: 14.02.2025 के क्रम संख्या 07,14, 23, 27, 28, 30, 36, 37, 39, पर अंकित ठेके तथा निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ERCC/RCC 04)/2025/ई-10269 दिनांक 18.02.2025 के क्रम संख्या 01, 02, 03, 06, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 30 एवं 31 पर अंकित ठेको की ई-नीलामी को अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है ।

(दीपक तँवर)
निदेशक

क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ERCC/RCC 02)/2025/ई-10075

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. क्षेत्रिय प्रबंधक, एमएसटीसी लि0, जयपुर को भेजकर लेख है कि तत्काल वेबसाइट पर प्रकाशन करा सभी भाग लेने वाले बोलीदाताओं को अपने स्तर से ईनिलामी स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में तत्काल सूचित करावें।
2. नोडल अधिकारी, डी.एम.जी.ओ.एम.एस., के. का., उदयपुर को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
3. समस्त अतिरिक्त निदेशक (खान) जोन।
4. समस्त अधीक्षण खनि अभियंता वृत।
5. समस्त खनि अभियंता।
6. समस्त सहायक खनि अभियंता।
7. निदेशालय पत्रावली क्रमांक निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ERCC/RCC 03)/2025/ई-10196 तथा निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ERCC/RCC 04)/2025/ई-10269 में रेकार्ड संधारण हेतु।



निदेशक